UPBS010053612023

न्यायालय ADJ I, Basti

पीठासीन अधिकारी– (SHEO CHAND), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06040**

Sessions Case/1067/2023

State Vs. Ram Prakash Alias Chandra Prakash

दिनांक 16.12.2023

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली आज कागज सं०–14 ख व 17 ख पर आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र 14 ख आवेदक परसराम की तरफ से प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभियुक्त हरिगोविन्द कक्षा 8 तक पढ़ा है उसकी जन्मतिथि 01.01.2005 है मामले का घटना दनांक 07.08.2022 का होना अंकित है जिसके आधार पर अभियुक्त की घटना दिनांक को उम्र 17 वर्ष सात माह छः दिन होता हैं इस प्रकार अभियुक्त घटना दिनाक को किशोर अपचारी था। आवेदक द्वारा अभियुक्त को किशोर अपचारी घोषितकर पत्रावली विचारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध हाई स्कूल परीक्षा का प्रवेश पत्र व कक्षा 8 परीक्षा के अंकपत्र पर अभियुक्त हरिगोविन्द की जन्मतिथि 01.01.2005 अंकित हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अभियुक्त घटना दिनाक को किशोर अपचारी प्रतीत हो रहा है किशोर अपचारी के मुकदमे के देखने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतएव किशोर अपचारी के मामले के निस्तारण हेतु पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित किये जाने योग्य है। तदनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए अभियुक्त को किशोर अपचारी घोषित किये जाने येाग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 14 ख स्वीकार किया जाता हैं। अभियुक्त हरिगोविन्द को किशोर अपचारी घोषित किया जाता है। अभियुक्त/किशोर अपचारी हरिगोविन्द के मामले को परीक्षण व विचारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड बस्ती अविलम्ब प्रेषित किया जाय। पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष दिनांक को पेश हो।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,

बस्ती।

Digitally signed by SHEO CHAND
Date: 2023.12.19 10:48:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थनापत्र 17 ख आवेदक कृपाशंकर की तरफ से प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभियुक्त अंशू कम पढ़ा लिखा है उसकी जन्मतिथि 18.12.2004 है मामले का घटना दनांक 07.08.2022 का होना अंकित है जिसके आधार पर अभियुक्त की घटना दिनांक को उम्र 17 वर्ष सात माह 19 दिन होता हैं इस प्रकार अभियुक्त घटना दिनाक को किशोर अपचारी था। आवेदक द्वारा अभियुक्त को किशोर अपचारी घोषित कर पत्रावली विचारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध आधार कार्ड अभियुक्त अंशू की जन्मतिथि 18.12.2004 अंकित हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अभियुक्त घटना दिनाक को किशोर अपचारीप्रतीत हो रहा है किशोर अपचारी के मुकदमे के देखने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतएव किशोर अपचारी के मामले के निस्तारण हेतु पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित किये जाने योग्य है। तदनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए अभियुक्त को किशोर अपचारी घोषित किये जाने येाग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 17 ख स्वीकार किया जाता हैं। अभियुक्त अंशू को किशोर अपचारी घोषित किया जाता है। अभियुक्त/किशोर अपचारी अंशू के मामले को परीक्षण व विचारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड बस्ती अविलम्ब प्रेषित किया जाय। पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष दिनांक को पेश हो।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,

बस्ती।